भारतीय खेल प्राधिकरण
(कार्मिक प्रभाग)

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर,
पूर्वी द्वार – 10 लोधी रोड़,
नई दिल्ली – 110 003

फा0सं0 भाखेप्रा/कार्मिक/1604/2000/834/

दिनांक : 08 जून, 2016

अधिसूचना

विषय : भाखेप्रा मुख्य कार्यालय में कार्यरत महिला कार्मिकों के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) सम्बन्धी मामलों के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन।

पूर्व के सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, महानिदेशक, भाखेप्रा, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली (दिल्ली में स्थित 05 स्टेडियमों सहित) में कार्यरत महिला कार्मिकों के यौन उत्पीडन सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए सहर्ष आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन करते हैं :–

1.	सुश्री रचना गोविल, कार्यकारी निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	सुश्री जरीना एम बेजलिल (वाईडब्ल्यूसीए)	–	सदस्य
3.	डॉ0 मीनू ढ़िंगरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	–	सदस्य
4.	श्री उमा दत्ता, उप–निदेशक	–	सदस्य
5.	सुश्री अंजुला भटनागर, प्र0श्रे0लि0 (कार्मिक प्रभाग)	–	सदस्य
6.	श्री पी.के.राघव, उप–निदेशक (कार्मिक)	–	सदस्य संयोजक

423
23/6/16

वाईडब्ल्यूसीए से सुश्री कल्पना डेविड लम्बित मामलों को देखना जारी रखेंगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

2. यह समिति इस विषय पर संदर्भित शिकायतों की जांच करेगी और समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया में एक समयबद्ध ढंग से सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :–

क) आंतरिक शिकायत समिति सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 14(2), जिसे सीसीएस(आचरण) नियम 1964 के नियम 3–सी के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अन्तर्गत यौन उत्पीड़न के मामलें में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी। अतः समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। अनुशासनिक प्राधिकारी नियमों के अन्तर्गत रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकता है।

ख) समिति विशाखा निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करेगी और शिकायतों तथा उनपर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित एक वार्षिक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

ग) यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के अलावा, समिति विभिन्न रोकथाम प्रक्रिया को अपनाएगी और प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित करते हुए जागरूकता बढ़ाएगी तथा समिति से सम्बन्धित सामान्य प्रवृति के मामलों को भी देखेगी।

घ) समिति अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करेगी।

3. इसका भाखेप्रा मुख्य कार्यालय (दिल्ली स्थित 05 स्टेडियमों सहित) के अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(एस सी शर्मा)
निदेशक (कार्मिक)

प्रति :

<u>समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य</u>

प्रतिलिपि :–

1. भाखेप्रा मुख्य कार्यालय में सभी प्रभागीय प्रमुख
2. सभी स्टेडिया प्रशासक
3. महानिदेशक, भाखेप्रा के सहायक निदेशक
4. सचिव, भाखेप्रा के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
5. राजभाषा प्रभाग
6. कार्यालय आदेश फोल्डर